Research Paper

Volume : 2 | Issue : 10 | October 2013 • ISSN No 2277 - 8179

प्रशासन मे हिन्दी भाषा का प्रयोग
Prshasan Me Hindi Bhasha Ka Prayogh

Literature

KEYWORDS :

श्रीलाल षुक्ल

प्रस्तावना– भारत देष की राश्ट्रभाशा हिन्दी होने के कारण सरकारी कार्यालय, निमषासकीय कार्यालयोमें हिन्दी भाशा व्यवहार मे लायी जाती है।। प्रषासन में हिन्दी का प्रयोग करते हुए कठिनायी महसूस नही होती, जैसी अन्य भाशा में होती है। भारत देष में राज्यस्तर पर कई भाशाएँ उसकी उपबोलीयॉ बोली जाती है। भारत देष में पूर्वी हिन्दी, पष्चिमी हिन्दी, दख्खिनी हिन्दी, पहाडी हिन्दी आदि भाशा बोली जाती है। जैसे मराठी भाशा के अंतर्गत खान्देसी, मराठवाडी, वैदर्भिक, व–हाडी आदि उपबोलीयॉ आती है। वैसेही हिन्दी भाशा मे उपबोलियॉ बोली जाती है।

हिन्दी भाशा के अंतर्गत कई उपबोलियॉ आती है पहले तो हमे राजभाशा हिन्दी का रूप ओर उसकी षैली को देखना है उसके बाद भारतीय संविधान मे भाशा सम्बन्धी विषिश्ट उपबन्ध को देखना है। राज्य के समस्त कार्यो में देवनागरी का लिखित प्रयोग किस प्रकार होता है इसको भी जानना जरूरी है। प्रषासन हिन्दी मे तत्सम, तद्भव षब्दो का पार्दुभाव होता है। प्रषासनिक हिन्दी मे षब्द निर्माण व रचना उसमे सन्धि, स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि, आदि को जानना है। हिन्दी भाशा के विविध रूपों का परिचय, स्थान्नापन्न षब्द, विदुषी षब्द और उनके हिन्दी पर्याय इसके पष्चात ही हम प्रषासनिक हिन्दी देख सकते है जैसे उसमे टिप्पण, टिप्पणी के सम्बन्ध मे मार्ग निदर्षक सिध्दांत, कुछ सुझाव टिप्पणी के मुख्य भाग, उसके नमुने, उसका प्रारूप, प्रालेख आदि देखेगें। संकल्प, संक्षिप्त लेखन उसकी भाशा, संक्षिप्त के प्रकार सामान्य प्रयोग मे अंगेजी वाक्यांषो का प्रयोग होता है।

प्रषासन की व्याख्या– प्रषासन का अर्थ ही संगठणयुक्त कार्यप्रणाली होता है और इसमे भाशा महत्वपूर्ण योगदान देती है। पाष्चिमात्य विचारवंत वुडरो विल्सन के अनुसार–

''प्रषासन सार्वजनिक विधि का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वय है। सामान्य विध ी की प्रत्येक विषिश्ट अनुप्रयुक्ति का कार्य है।''1

प्रषासन में वुडरोने लोगो को महत्व दिया है। प्रषासन एक सार्वजनिक विध ी को माना है ज्यो एक प्रकिया है। मनुश्य हर एक विधी विषिश्ट महत्वपूर्ण ढंगसे करता है। विल्सन का प्रषासन मे महत्वपूर्ण स्थान है उसमे उनका योग अग्रणी माना जाता है।

पाष्चिमात्य विचारवंत लिंडल उर्विक के अनुसार –

''संगठण उस समय तक प्रभावषाली रूप से कार्य नही कर सकते जबतक की कार्यपालिकाएँ प्रत्यायोजन नही करती या यह नही जानती की कैसे प्रत्यायोजन किया जाए'' 2

लिंडल के अनुसार कार्यपालिका या प्रषासन में जबतक संगठन नही, तबतक वो प्रभावषाली रूपसे कार्य नही कर सकता है संगठण के कारण ही प्रषासन व्यवस्था महत्वपूर्ण है और प्रषासन के लिए भाशा सबसे महत्वपूर्ण है ज्यो आपस में आदान–प्रदान की भूमिका करती है उनके अनुसार अन्वेशण, पूवा. नुमान, नियोजन, उपयुक्तता, समन्वयन, संगठण, नियंत्रण, नेतृत्व, केन्द्रीयकरण, जाषु, चयन, अनुषासन के लिए एह बहुत जरूरी है। जिसका सम्बध भाशा से ही दृढ होता है।

उपर्युक्त पाष्चिमात्य विचारवंत के अनुसार प्रषासन के बारेमें उन्होने व्याख्या की है। ज्यों एक सत्यता दर्षाती है।

हिन्दी भाशा का वापर हम दो राज्यो के बीच आदान–प्रदान करते वक्त करते है। हमारी त्रिभाशा हिन्दी, अंग्रेजी, और मातृभाशा इन तीन भाशाओं में हमारा व्यवहार चलता है किंतु ज्यादा पैमानेपर हिन्दी और अंग्रेजी मे चलता है। हिन्दी ही एक ऐसी भाशा है जो समझने में आसान है तमिल और मराठी भाशा दोनो राज्य के लोग आपस मे समझ नही सकते किंतु हिन्दी भाशा इनमे एक दुवा का काम करती है। हम भाशा के कारण आपस मे बोलचाल, व्यवहार, खान–पान आदि के बारे में जानकारी होती है। इसलिए प्रषासन मे भी हिन्दी भाशा रही तो अनेक पदषु के लोग ज्यों लोकसभा मे रहते है वो राज्यों का अंतर्गत कार्यभार, कामकाज बडे आसानी से समझा सकते है। और सबसे महत्वपूण फायदा यह है कि, राश्ट्र–राश्ट्रो के बीच एकता प्रस्थापित होती है। जो आपसी संघर्श, वाद–विवाद है वेा इस भाशा के कारण कम हो जायेगा । खासतौर हिन्दी ही भाशा में प्राथमिक, माध्यामिक, उच्च माध्यमिक स्तर सरकारी, निम्नसरकारी स्कू लो में लागू करनी चाहिए। तॉकि अपनी हिन्दी भाशा का उददेष सफल होकर सभी भारतीय हिन्दी भाशामय हो जायेगें और हिन्दी का प्रयोग होने के कारण प्रषासन का कामकाज हिन्दी भाशा में चलता है। अनेक दफतर में हिन्दी का वापर होने से बडी आसानी से हिन्दी का कामकाज कर सकते है, अनेक हिन्दी राज्योमे प्रतियोगी परिक्षाओके लिए हिन्दी अनिर्वाय पेपर रखा है उसके लिए तो लोकसेवा भरती, रेल्वेभरती, एम.पी.एस.सी, यु.पी.एस.सी. जैसे परिक्षाओंमे हिन्दी अनिवार्य की है। इस में सफल परिक्षाथीयोको कार्यालयोमे टिप्पन लिखना होता है, प्रालेख प्रस्तुत करने होते है लम्बे पत्रव्यवहार को संक्षिप्त करना होता है। इसकी जानकारी मैंने देने का एक छोटासा प्रयास किया है।

राजभाशा हिन्दी का रूप और उसकी षैली– जब हमारा देष पारतंत्र्य मे था तब हमारे देषपर विदेषी भाशा का नियंत्रण था। अंग्रेजी ही हमारी कामकाज की भाशा थी। मुगलो के जमाने मे फारसी भाशा ही राजभाशा के रूप में और सभी व्यावहारिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त मे लायी जाती है। किन्तु स्वतंत्र्यता प्राप्ती के बाद राज–काज की भाशा, न्यायालयोमें, दफतरोमें ज्यो आसान हो, जो सुबोध हो और सर्वग्राहय ऐसेही भाशा चुनी गई और वो है हिन्दी जिसकी लिखावट देवनागरी लिपी है। जिसे 80 प्रतिषत लोग जानते है बोलते है और समझते है। वर्श 1950 में नये संविधान के अंतर्गत हिन्दी भाशा संघ की राजभाशा के पथपर प्रतिश्ठित की गयी। 351 के अंतर्गत से इसका स्विकार किया गया। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच संचार का माध्यम बनाने के लिए इसका वापर किया गया।

भारतीय संविधान में भाशासंबंधी कुछ नियम– 343 के अंतर्गत संघ कि भाशा के बारे जिसमे संघ की भाशा राजभाशा हिन्दी और लिपी देवनागरी होगी खण्ड 1 संविधान के प्रारंभ 5 वर्शतक अंगेजी भाशा का प्रयोग किया गया। किन्तु राश्ट्रपति के उस कालावधीमें, आदषुद्वारा, अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी भाशा का तथा अंतरराश्ट्रीय के साथ–साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अंग्रेजी भाशा का, अंको के देवनागरी रूप का प्रयोजन राश्ट्रभाशा के लिए संसद का आयोग और समिती–344 के अंतर्गत दिए है। राज्य के समस्त कार्यो मे देवनागरी लिपी मे लिखीत हिन्दी भाशा का प्रयोग– राज्य के समस्त कायो में देवनागरी लिपी का प्रयोग किया जाता है जो समझने, जानने मे आसान है। बहुतसे राज्योने अपनी प्रषासन की भाशा हिन्दी भाशा को चुना है। हिन्दी ही ऐसी भाशा है जो समझने मे आसान है जिसमे पोर्तृगाली, अरबी, फारसी, अंगेजी षब्द घुलमिल गये है। ''हिन्दी से अभिप्राय उस भाशा से है जो उत्तर प्रदेष की जनता की भाशा है और जो देवनागरी लिपी मे लिखी जाती है।''1 हिन्दी भाशा का वर्चस्व हर एक राज्यमें, प्रषासन मे दिखायी देता है। उत्तरप्रदेष की जनता की भाशा हिन्दी है और वो देवनागरी लिखी जाती है याने देवनागरी समझने मे आसान, सुबोध है उसका महत्व है यह भाशा सरल और सुबोध है। यह भाशा सिमीत और संकुचित रूपमे नही दिखायी देती है। इसमें कई भाशाओं के षब्द प्रयुक्त हुये है जैसे– विदेषी भाशाओ के अपील, पेंटट, पेटोल, मेजर रिपोट, अफसर, इंजन, इन्जिनीअर, फालतू, मैनेजर आदि।

पोर्तृगाली षब्द–अल्मारी, कमीज, गोभी, आदि।

फ्रन्सीसी–अफसोस, वापिस, सितार, सरासर, सरकार

तुर्कीषब्द– आगा, काबू, लफंगा, आदि षब्दो का प्रयोग सरलता दिखायी देता है।

व्याकरणिक त्रुटियॉ अनेक छात्र और कर्मचारी हिन्दी लिखते वक्त करते है। वे कतिपय षुध्द और अषुध्द का भेद नही कर पाते। ऐसे षब्दो को हम नजर अंदाज नही कर सकते उनकी तरफ जागृत होना जरूरी है। जैसे– वर्णसंबंध ी त्रुटियॉ इसमे बहुतसी नजर आती है। तद्भव, तत्सम, षब्द प्रयोग मे लाये जाते है। षब्द निर्माण व रचना इनमे सन्धि, स्वर सन्धि, व्यंजनसन्धि, विसर्गसन्धि इनका ध्यान रखना पडता है।

समास– प्रषासनिक हिन्दी मे समास को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके तत्पुरूश, कर्मधारय, बहुवीर्हो समास, द्वन्द्व समास द्विग्यु समास, अव्ययीभाव, उपसर्ग आदि आते है। प्रत्यय भी इसमे महत्वपूर्ण है।

हिन्दी भाशा के विविध रूप– षिक्षीत, अषिक्षीत, ग्रामीण, नगरवासी सभी अपनी भाशा को किसी न किसी रूप मे प्रगट करता है। जिसमे बोली, विभाशा, राजभाशा, राश्ट्रभाशा, साहित्यीक भाशा, सम्पर्क भाशा उपभाशा आदि हिन्दी भाशा के विविध रूप है। हिन्दी भाशा मे स्थानापन्न षब्द आते जो कुछ पदावली या वाक्यांषो के अर्थ को या उनके अभिप्राय को अभिव्यक्त करते है।

जैसे– अज्ञेय– जिसे जीता न जा सके। कृतघ्न– जो उपकार न करे , राज–काज में इन सभी का सहभाग होना जरूरी है। इन सभी के कारण प्रषासकीय भाशा हिन्दी उच्यस्तर को महत्व है।

''दफतरो। मे पत्रादि प्राप्त होने का स्त्रोत क्या है, उन पत्रोंपर जिन्हें सरकारी भाशा में रसीद कहते है, हिन्दी में किस प्रकार कार्यवाही की जाती है और उनका हिन्दी में निस्सारण किस प्रकार होता है।''2

उपर्युक्त पंक्तियोमे लेखक ने दफतर में पत्रादि स्त्रोत प्राप्त होनेपर उनपर किस तरह सरकारी भाशामे कार्यवाही होती है, उसका निस्सारण कैसे किया जात है, इसको बताया है। अक्सर सरकारी दफतरों में कामकाज अत्यंत महत्वपूर्ण ढंगसे किया जाता है। सरकारी मुख्यालय में, विदेषो में स्थित दूतावास व जनसाध्म्यि राज्य के मुख्यमन्त्री व अन्य मंत्रियो को पत्र भेजते है, उनको भेजे हुये पत्र विभिन्न विशय पर होते है किन्तु उनके प्रषासनिक भाशा हिन्दी और अंग्रेजी भाशा का वापर किया जात है। इसीको प्रालेख कहा जाता है। प्रालेख मतलब टिप्पणी होती है। टिप्पणी प्रारम्भ, बाद प्रष्न प्रकरण विशय वस्तु, निश्कर्श सुझाव आदि, नैतिक टिप्पणी के नमुने देखे जाते है।

प्रालेखन– प्रषासकीय हिन्दी में प्रालेखन महत्तवपूर्ण है। तर्कानुसारेण प्रस्तुति को टिप्पन कहते है। प्रषासन में हिन्दी भाशा प्रयोग के लिए राजभाशा हिन्दी, भारतीय भाशासंबंधी नियम, भाशा के विविध रूप, व्याकरण की दृश्टीकोण से देखना बहुत जरूरी है। हिन्दी भाशा काम काज मे टिप्पन, प्रालेखन और संक्षिप्त लेखन भी जरूरी होता है। इसलिए प्रषासन अंग्रेजी भाशा के साथ–साथ हिन्दी होना भी जरूरी है, ताकि, हिन्दी ही कामकाज की ऐसी भाशा है जो आसानी से सभी प्रादेषिक स्तर पर समझ सकते है।

समारोप– प्रषासन एक राज्य का अविभाज्य भाग होता है और उसमे सबसे महत्वपूर्ण होती है भाशा। प्रषासन मे भाशा प्रभावी, ओजस्वि होनी चाहिए ताकि प्रषासनपर उसका गहरा प्रभाव चैतन्यमय ढंगसे पड सके। और उसके लिए प्रषासन का अर्थ तथा उसकी व्याख्या, राजभाशा तथा उसकी षैली,तथा विविध बोली भाशा का समायोजन भी जरूरी है। जैसे–उर्दु, फारसी,अरबी,पोर्तृगाली, तुर्की इन भाशा का प्रयोग हमारी हिन्दी भाशा मे हुआ है इसलिए वो एक समृध्द भाशा के रूप में हमारे सामने आयी है, तभी प्रषासन में एक अच्छी प्रषासन व्यवस्था के लिए हिन्दी एक अच्छी भाषा के रूप मे सामने आती है,क्योंकि उसमें समायोजन दिखायी देता है। हमारे देष की हिन्दी भाशा जागतिक स्तर पर तृतीय स्थान पर है। और आज हमारी देष कि स्थिती इतनी अच्छी है कि, बाहरी देषो कि छात्र हिन्दी सिख रहे है, और भारत देष मे षिक्षा के लिए प्रवेष ले रहे है। ऑक्सफर्ड विद्यापीठ में हिन्दी अध्यापकों को सेवा करने के लिए जगह रिक्त है और यह हमारे भारत देश के हिन्दी अध्यापकों के लिए यह सुनहरा मौका है।

REFERENCE

1. प्रशासकीय विचारवंत– पृष्ठ संख्या–17 द्य 2. वही – पृष्ठ संख्या–83 द्य 3. प्रशासनिक हिन्दी– पृष्ठ संख्या–9 द्य 4. वही – पृष्ठ संख्या–10 द्य 5. व्यावहारिक हिन्दी निर्देशिका द्य 6. सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग द्य 7. कार्यालय कोश द्य 8. वुडरो विल्सन ''द स्टडी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन'' द्य 9. लिंडल उर्विक–''द एलीमेन्टस ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन'' द्य